



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड
एकीकृतनाभिकीय पुनःचक्रण संयंत्र (प्रचालन)
आर एंड डब्ल्यूएम

तारापुर, पोस्ट- धिवली, जिला- पालघर, महाराष्ट्र- 401502



ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना सं.: बीएआरसी(टी)/एनआरबी/आईआरपी(ओ)/आर&डब्ल्यूएम/ईएसएस/2024/497 दिनांक: 01/07/2024

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर परियोजना प्रबंधक, आरएंडडब्ल्यूएम, आईएनआरपीओ, नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर, पोस्ट-धिवली, जिला-पालघर-401502 द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दोभागों अर्थात् भाग 'क'-लालित्य मानदंड से संबंधित दस्तावेज भाग 'ख'-वित्तीय बोली में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाइन मद-दर निविदा आमंत्रित की जाती है, जिनका नाम सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेल्वे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुमोदित सूची में हो तथा जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) में ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता हो।

i)	कार्य का नाम	आईएनआरपी(ओ), एनआरबी, बीएआरसी तारापुर में प्रस्तावित कैंटीन भवन का विद्युतीकरण।
ii)	कार्य स्थल	आईआरपी(ओ), नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड, भापअ केंद्र, तारापुर
iii)	अनुमानित लागत	रु. ८४,००,०००/- (चौरासी लाख)
iv)	बोली सुरक्षा घोषणा	संभावित बोलीदाताओं को संलग्न प्रारूप अनुलग्नक-बके अनुसार बोली-सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।

टिप्पणी:-

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि,

यदि बोलियां वैधता की अवधि के दौरान वापस ले ली जाती हैं या संशोधित की जाती हैं या काम के पुरस्कार के बाद,

मैं/हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता हूँ,

या निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि से पहले प्रदर्शन गारंटी जमा करने में विफल रहता हूँ, तो मैं / हमें 5

साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और मैं/हम इस अवधि के लिए एनआरबी,

बीएआरसी द्वारा जारी किसी भी निविदा में भाग नहीं ले पाएंगे।

v)	निविदा दस्तावेज का मूल्य	०/-
vi)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	०/-
vii)	समाप्ति की अवधि	०५ (पाँच) कैलेंडर माह।

viii)	निविदादस्तावेज खरीदने/ डाउनलोड करने के लिए तारीखें (एक्सेल/पीडीएफ/वर्ड फ़ॉर्मेट)	https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर दिनांक १२/०७/२०२४ (११:३० बजे) से ३१/०७/२०२४ (१६:०० बजे) तक। विस्तृत एनआईटी, केवल देखने के लिए, वेबसाइट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है।
ix)	बोली-पूर्व स्पष्टीकरण की तारीख	ठेकेदारों से अनुरोध है कि दिनांक १९/०७/२०२४ तक ई-मेल द्वारा अपनी बोलीपूर्व शंकाएं भेजें। दिनांक २२/०७/२०२४ (११:३० बजे) को एफ कॉन्फरन्स रूम में प्रीबिडमीटिंग होगी बोली पूर्व स्पष्टीकरण दिनांक २४/०७/२०२४ तक https://eprocure.gov.in/eprocure/app की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
x)	ऑनलाइन निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि और समय	दिनांक १२/०७/२०२४ (११:३३ Hrs.) to ३१/०७/ २०२४ (१६:०० बजे तक)
xi)	भाग 'ए' के ऑनलाइन खुलने की तिथि और समय	दिनांक ०१/०८/२०२४ (१५:०० बजे)
xii)	पात्र बोलीकर्ताओं के भाग 'बी' को खोलने की तिथि और समय	अधिसूचना बाद में https://eprocure.gov.in/eprocure/app की वेबसाइट पर जारी की जाएगी

सूचना, पात्रता मानदंड, शर्तें एवं अनुदेश:

सूचना :

- निविदा दस्तावेज दो भागों अर्थात् भाग 'ए' (लालित्य मानदंड से संबंधित दस्तावेज) एवं भाग 'बी' (वित्तीय बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'ए' में लालित्य मानदंड से संबंधित दस्तावेज है यथा : खंड I-ई निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निर्देश, जापन, खंड III- ठेके की सामान्य शर्तें, अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष अनुदेश, खंड V- तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड VII- अनुसूची 'बी' (विभाग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की अनुसूची), परिशिष्ट 'ए'-बोली प्रतिभूति (बैंक गारंटी), परिशिष्ट 'बी'- निष्पादन प्रतिभूति के लिए बीजी बांड का प्रपत्र, परिशिष्ट 'सी' - सुरक्षित अग्रिम के लिए इंडेंचर, परिशिष्ट 'डी' - जलरोधी कार्यों के लिए गारंटी बांड, परिशिष्ट 'ई' - विरोधी दीमक उपचार के लिए गारंटी बांड, अनुलग्नक 'ए'- कर्मचारियों एवं मशीनरी का विवरण, अनुलग्नक 'बी'- भवन निर्माण सामग्रियों के अनुमोदित विनिर्माताओं की सूची एवं अनुसूची 'ए' से 'एफ' का प्रोफार्मा। भाग 'बी' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'ए'-प्रमात्राओं की अनुसूची है।

संभावित बोलीदाता या आम जनता उपरोक्त दस्तावेजों के पीडीएफ प्रारूप को वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>

से मुफ्त में देख और डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

निविदा में भाग लेने के लिए,

संभावित बोलीदाताओं को अपने यूजर आईडी

पासवर्ड पासवर्ड एवं क्लास III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के

के साथ वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के होमपेज पर लॉग इन करना होगा।

भावी बोलीकर्ताओं को एक्सेल दस्तावेज भरने होंगे और उन्हें पुनः नाम (renaming) दिए बिना इसे अपलोड करना होगा। कृपया निविदा के प्रस्तुतीकरण हेतु हेल्प मैनुअल रेफर करें अथवा एनआईटी के अनुसार हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

वर्णित निविदा बिक्री के दौरान, वर्णित कार्यों के लिए निविदा आरेखों (खंड -VI) का एक सेट केवल निरीक्षण के लिए अधीक्षक इलेक्ट्रिकल, आर एंड डब्ल्यूएम, आईएनआरपी(ओ), एनआरबी, बीएआरसी तारापुर के कार्यालय में निविदाकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो बोलीकर्ता, आरेखों का अध्ययन करने के लिए स्वयं आ सकते हैं और यह वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा। उपरोक्त सभी दस्तावेज सफलता प्राप्त बोलीकर्ता को कार्य प्राप्त हो जाने के बाद करार का एक भाग होंगे।

आरंभिक पात्रता मानदंड:

3. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए:

- (क) ठेकेदारों के समुचित वर्ग, यदि कोई है, में पंजीयन।
- (ख) निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से कम से कम रुपये ३३,६०,०००/- के बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
- (ग) दिनांक ३१ मार्च २०२३ को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान समान कार्य पर औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर कम से कम रुपये ४२,००,०००/- होना चाहिए। यह एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित होना चाहिए।
- (घ) ३१ मार्च २०२३ को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए।
- (च) पिछले 7 वर्षों में किए गए समान कार्यों की सूची।
- (छ) कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र।
- (ज) समय पर कार्य पूरा करने के लिए निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्करों, उपसाधनों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं।
- (झ) आवश्यक तकनीकी स्टाफ।
- (ट) जीएसटी हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- (ठ) स्थायी खाता सं (पी ए एन)।

- (ड) पीएफपंजीकरणसंख्या।
- (ढ) विभिन्नसेवार्थियों के लिए निष्पादित कार्य के मूल्य के प्रमाण स्वरूप टी.डी.एस.प्रमाणपत्र।
- (ण) ठेकेदार घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें किसी प्राधिकारी/एजेन्सी द्वारा निविदा करने से रोका नहीं गया है।
- (त) पूर्व माह के अंतिम दिन, जब आवेदन आमंत्रित किया जाता है, को समाप्त होनेवाले पिछले सात वर्षों के दौरान सफलता पूर्वक पूर्ण किए गये समान कार्यों का अनुभव। निविदा प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि के पूर्व दिवस तक पूरा किए गये कार्य पर भी विचार किया जाएगा। संयुक्त उद्यम स्वीकार्य नहीं है।
4. बोलीकर्ता को निम्नलिखित कार्य संतोषजनक रूप (कार्यों के ग्राहक द्वारा प्रदर्शन के प्रमाणीकरण के आधार पर)
- 4.1. निविदा अनुमानित लागत का 40% मूल्य के 03 (तीन) समान कार्य (रु. ३३,६०,०००/-)
- 4.2. निविदा अनुमानित लागत का 60% मूल्य के 02 (दो) समान कार्य (रु. ५०,४०,०००/-)
- 4.3. निविदा अनुमानित लागत का 80% मूल्य के 01 (एक) समान कार्य (रु. ६७,२०,०००/-)
- 4.4. और यदि अनुमानित लागत बीस (20) करोड़ से ज्यादा हैं तो किसी भी प्रकृति का एक पूर्ण कार्य (या तो उपर्युक्त कार्यों का भाग अथवा एक पृथक कार्य भाग) जिसकी लागत अनुमानित लागत का 40% मूल्य के बराबर राशि से कम न हो, को किसी केंद्र सरकार के विभाग अथवा राज्य सरकार के विभाग/केंद्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/शहर विकास प्राधिकरण/केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम के अधीन गठित शहर का म्यूनीशिपल कार्पोरेशन तथा केंद्र/राज्य के राजपत्र में प्रकाशित के साथ निविदा के लिए रखा गया
- आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले महीने से पूर्व के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों में (कार्य के क्लायंट के कार्य-निष्पादन के प्रमाणन पर आधारित कागजाती सबूत के साथ) से पूरा होना चाहिए
5. इस प्रयोजन हेतु "कार्य की लागत" का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/क्लायंट द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं, लेकिन इसमें निःशुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। समान कार्य का तात्पर्य है " वाणिज्यिक/औद्योगिक भवनों का विद्युतीकरण"। समान कार्य वो होना चाहिए जो भारत में सम्पादित किया गया हो।
6. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदाकागजात के क्रय/डाउनलोड करने के लिए अनुरोध की आखिरी तारीख तक किया जाएगा।
7. लागू ठेकेदार की बोली लगाने की क्षमता निविदा में लगाए गए काम की अनुमानित लागत से अधिक या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली लगाने की क्षमता निम्नलिखित फार्मूले पर काम की जाएगी:
- बोली क्षमता = [एX एन X2] - बी
- जहां:
- ए = पिछले पांच सालों के दौरान किसी एक वर्ष में निष्पादित कार्यों का अधिकतम मूल्य पूरा होने के साथ-साथ कार्य प्रगति पर ध्यान में रखते हुए। पूर्ण कार्य का मूल्य 7% प्रति वर्ष की एक नमूना दर में वृद्धि करके वर्तमान लागत स्तर पर खरीदा जाएगा।
- एन = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
- बी = मौजूदा वचनबद्धता के मूल्य और कार्य के पूरा होने की अवधि के दौरान चलने वाले कामों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं
- यद्यपि कोई बोलीकर्ता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो वह अयोग्य ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि वह है:

→ पात्रता मानदंड दस्तावेज में आवश्यक रूपों, बयानों और संलग्नक में जानकारी को गुमराह करने या गलत प्रतिनिधित्व या जानबूझकर दबाना,

→ काम को छोड़ने जैसे खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड, अनुबंध या वित्तीय विफलताओं / कमजोरियों आदि को ठीक से पूरा नहीं करना।

8. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए। संयुक्त उद्यम या कॉन्सॉर्टियम स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

शर्तें :

9. निविदा के भाग 'ए'(लालित्य मानदंड से संबंधित दस्तावेज)के खुलने के पश्चात, मुख्य अभियंता द्वारा एक निरीक्षण दल गठित किया जाएगा जिसके द्वारा निम्नलिखित आधार पर निविदाकारों के चयनित चालू कार्य क्षेत्रों/संपूर्ण किये गये कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा ताकि निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके :-

क) वित्तीय क्षमता एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान उनका टर्नओवर।

ख) संबंधित कार्य के संदर्भमें कंपनी की तकनीकी क्षमताएं।

ग) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।

घ) कंपनीकी संगठनात्मक संरचना।

च) कंपनी द्वारा संबंधित कार्यकरने हेतु अपेक्षित आवश्यक संसाधन।

छ) समय एवं गुणवत्ता की सजगता।

ज) असंगत दावे एवं विवादकरने की कंपनी की प्रवृत्ति।

झ) क्षेत्र नियोजन क्षमता।

ट) कंपनी की कार्य को बैंक टू बैंक/उप किरायेदारी पर सौंपने की प्रवृत्ति

पात्रता मानदंडों से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन: यह एनआईटी में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर वित्तीय बोली खोलने से पहले सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के परिशिष्ट -1 के अनुबंध-1 के अनुसार किया जाएगा।

बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन: वित्तीय बोली खोलने की तारीख बोलीदाताओं को दी जाएगी जिनके भाग-1 (पात्रता मानदंड (अंश- I) से संबंधित दस्तावेज विभाग को संतोषजनक पाए जाते हैं , केवल ऐसे बोली लगाने वाले को भाग- द्वितीय (वित्तीय बोली)खोला जाएगा।

संकेतित काम की अनुमानित लागत केवल अनुमानित है और ठेकेदार वास्तविक डेटा के आधार पर दरों को पूरा करेगा।

10. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, कार्य शुरू करने से पहले भापअ केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी।

11. निविदा खरीदने के समय, निविदाकर्ता आवेदक को सार्वजनिक नोटरी द्वारा प्रमाणित रु- 100/-के स्टैम्प पेपर पर निम्नलिखित प्रारूप में बोली के साथ हलफनामे भी प्रस्तुत करना होगा:

"मैं / हम वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि समान पात्र कार्य (यों) को किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से वापसी आधार पर निष्पादित नहीं किया गया है। इसके अलावा, अगर ऐसा कोई उल्लंघन विभाग के नोटिस पर आता है, तो मैं / हम भविष्य में हमेशा के लिए एनआरबी, बीएआरसी तारापुर के संविदा में निविदा के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा।"

12. निविदा भाग 'ए'खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

13. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

14. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में हमेशा के लिए निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता, निष्पादन गारंटी को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें या कार्य स्थल की सुपुर्दगी के पहले दिन, जो भी बाद में हो, से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित, यदि कोई हो, चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी।
16. निविदा को निविदा के खुलने की तिथि से 180 दिनों तक वैध रखा जाएगा।
17. यदि निविदा प्रक्रिया शुल्क एवं ईएमडी के लिए मूल दस्तावेज प्राप्त करने की तथा निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा।
18. अनुलग्नक 'ब' प्रारूप के अनुसार बोली सुरक्षा घोषणा सार्वजनिक नोटरी द्वारा सत्यापित की जाएगी। संभावित विक्रेता को इस की स्कैन कॉपी अपलोड करनी चाहिए। **महाप्रबंधक आर एंड डब्ल्यूएम, आईएनआरपी(ओ), एनआरबी, बीएआरसी तारापुर** के कार्यालय में पार्ट-ए खोलने से पहले जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी।
19. ठेकेदार, जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी है, द्वारा उनके ठेके की विधिवत पूर्ति हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में कार्य के निविदा मूल्य के 2.5% की राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। प्रतिभूति जमा की वसूली, ठेकेदार के चालू बिल/अंतिम बिल के 2.5% की दर से तब तक की जाएगी जब तक कि वसूली गई कुल राशि, कार्य के निविदाकृत मूल्य के 2.5% के बराबर न हो जाए।
सुरक्षा जमा अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। अनुसूचित बैंक की सावधि जमा राशि दभी स्वीकार की जाएगी।
20. इसके अलावा, ठेकेदार को जीएम, आरकेनाम पर डिमांड ड्राफ्ट / सावधि जमा राशि / बैंक गारंटी के रूप में अनुबंध के निविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि प्रदर्शन गारंटी के रूप में कार्य प्रारम्भ होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर या काम शुरू होने से पहले, इनमें से जो भी पहले हो, जमा करनी होगी।
21. यदि सफल निविदाकार कार्य दिशजारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर या कार्य शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसे ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर 1 से 1 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। 15 दिन विलंब शुल्क @ 0.1% पीजी राशि के साथ। विभाग (बीएआरसी) किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऊपर दिए गए नोट 1 (iv) में निर्दिष्ट समय के लिए बोली लगाने वाले को निलंबित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
22. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश करना सख्त मना है, जो ठेकेदार सिफारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
23. निविदाओं के संबंध में प्रचार करना सख्त वर्जित है और ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं जो प्रचार का सहारा लेती हैं, अस्वीकृत के लिए उत्तरदायी होंगी।
24. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे, के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को दे दी जाए।
25. विभाग के पास निविदा के पूरे या केवल एक हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और निविदाकर्ता को उद्धृत दरों पर इसे करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

- i) उद्धृतदरोंमेंजीएसटीशामिलहोगाऔरठेकेदारद्वारादेयहोगाऔरएनआरबी, बीएआरसीइससंबंधमेंकिसीभीदावेपरविचारनहींकरेगा।ठेकेदारकोमालकेतहतपंजीकृतहोनाचाहिए
- ii) श्रमकल्याणउपकर, यदिलागूहो, ठेकेदारकोभुगतानकिएगएप्रत्येकबिलसेवसूलकियाजाएगा।
- iii) ठेकेदारकोभुगतानकिएगएप्रत्येकबिलसेआयकर, जीएसटीटीडीएसऔरलागूहोनेवालेकिसीभीअन्यकरकीकटौतीकीजाएगी।
- iv) सभीश्रमिकोंकोलागून्यूनतममजदूरीकाभुगतानकियाजानाहै।
- v) ठेकेदार को कानून के अनुसार ईपीएफ एवं ईएसआईसी के अधीन पंजीकृत होना चाहिए, अथवा यदि विभाग पूछता है, तो ठेकेदार को संबंधित विभाग को ठेका कर्मियों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी को भुगतान करना होगा। ईएसआईसी की प्रतिपूर्ति उनको विभाग द्वारा इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद की जाएगी कि इसे वास्तविक एवं असली रूप में ठेकेदार द्वारा अदा किया गया है।

26. यदि कोई निविदाकार वैधताअवधि के अंदर तथा कार्य दिये जाने से पहले, जो भी पहले हो, अपनी निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपूर्ण बयाना राशि की 50% (पचास प्रतिशत) धनराशि को ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके अतिरिक्त, निविदाकार को कार्य की पुनः निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27. सफल निविदाकार को कार्य सौंपने के पश्चात, ठेकेदार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा।

28. जिन सफल बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्मिकों जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्च पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए। पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा।

सुरक्षा जांच के बाद यदि ठेकेदार/कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर और/अथवा उसके ठेके के कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर तथा पूर्ववृत्त की अभ्युक्ति/अधिसूचना प्राप्त होती है तो भापअ केंद्र, बिना कोई कारण बताए/बिना 'कारण बताओ सूचना' जारी किए तुरंत ठेके को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार के पास यह अधिकार नहीं होगा कि भापअ केंद्र द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप यदि उसका कोई नुकसान/दियता हो तो उसकी भरपाई के लिए वह दावा करे। पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा अनुदेश का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं करने पर भापअ केंद्र के पास यह अधिकार होगा कि वह सरकार के पास जमा निष्पादन प्रतिभूति और/अथवा प्रतिभूति जमा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ज़ब्त कर ले।

अनुदेश :

29. ठेकेदार <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होना जरूरी है। यदि आवश्यक हो, वेबसाइट पर उपलब्ध ब्योरे के अनुसार, उन्हें ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
30. इच्छुक बोलीकर्ता के पास बोली प्रस्तुत करने के लिए निविदा दस्तावेज की खरीद/ डाउनलोड (एक्सेल/वर्ड फॉर्मेट) करने हेतु वैध क्लास-III डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए।
31. जमा बयाना के लिए किसी अनुसूचित बैंक का सावधि जमा रसीद एवं अथवा बैंक गारंटी एवं यथा विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेज जमा करने/अपलोड करने के बाद ही बोली प्रस्तुत की जा सकती है।

32. उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं ऑनलाइन प्राप्त हो जानी चाहिए। उपरोक्त उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' खोली जाएगी। सर्वप्रथम निविदा दस्तावेज का मूल्य, निविदा प्रक्रिया शुल्क की रसीद एवं ईएमडी की जांच की जाएगी। यदि इन्हें सही पाया गया तो भाग 'क' खोला जाएगा। भाग 'क' खोलने के पश्चात, मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के जारी/पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय कानिरीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब योग्यता प्राप्त सफल निविदाकारों की निविदा के भाग 'ख' (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख की सूचना सभी बोलीकर्ताओं को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
33. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
34. ठेकेदार प्रत्येक मद की दर कोट करना सुनिश्चित करें। अंकों में दर कोट करने वाला कॉलम पीले रंग का लगता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी सेल चुनते (सिलेक्ट) समय एक चेतावनी दिखाई देगी कि यदि कोई सेल खाली छोड़ा जाता है तो उसे "0" (शून्य) समझा जाएगा। इसलिये यदि कोई सेल खाली छोड़ा जाता है और बोलीकर्ता कोई दर कोट नहीं करता है तो उस मद की दर "0" (शून्य) समझी जाएगी।
35. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है:-
- (i) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित वित्तीय कारोबारा।
 - (ii) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित लाभ एवं हानि विवरण।
 - (iii) नवीनतम बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
 - (iv) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची।
 - (v) तकनीकी कर्मचारियों की सूची।
 - (vi) पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड
 - (vii) अनुबंध-बी के अनुसार बोली सुरक्षा घोषणा
 - (viii) प्रमाणपत्र:
 - क. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो।
 - ख. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाण-पत्र।
 - ग. जीएसटी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र।
 - घ. भविष्यनिधि (पी. एफ.) पंजीयन प्रमाणपत्र।
 - (ix) यह वचन देना कि पात्र समान कार्य (कार्यों) को किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैंक टू बैंक आधार पर निष्पादित नहीं किया गया है।
 - (x) भाग क: खंड II तथा ठेके की सामान्य शर्तों के खंड (क्लाउज) 11 के अनुसार वचन (अंडरटेकिंग)
 - (xi) वैध विद्युत लाइसेंस, यदि लागू है तो।
 - (xii) ठेकेदार यह घोषणा करेंगे कि उन्हें किसी प्राधिकारी/एजेंसी के द्वारा निविदा करने से वंचित नहीं किया गया है।


टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान यदि कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो निरीक्षण समिति उसे प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

टिप्पणी:

1. पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा खरीद/डाउनलोड एवं प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं।

2. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण हेतु <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> वेबसाइट देख सकते हैं।
3. संपर्कयासहायता / स्पष्टीकरण (02525) 290 313/294313/290086/294350
4. पंजीकरण और ई-निविदा में भागीदारी के लिए सहायता के लिए संपर्क करें:
 - क) श्री भूषण कुमार और श्री मयूर जाधव दूरभाष नं० 022-25487480
 - ख) किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्पडेस्क नंबर पर कॉल करें
 - 1) 0120- 4001 002
 - 2) 0120-4001 005
 - 3) 0120-6277 787
5. स्थल भ्रमण / सहायता/स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध भेजने हेतु ई-मेल आईडी:-
सेवा में : parameshb@barc.gov.in, kshirsagar@barc.gov.in

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को मुख्य रूप सही माना जाए



पी.एम., आर.एंड.डब्ल्यू.एम., आई.एन.आर.पी.ओ.,
नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड: वी.ए.आर.सी, तारापुर
(भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से)